

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

18 मई 2010

संख्या-2/स्था0-राजपत्रित/आ0प्र0प्रा0-07/2008-1256/आ0प्र0प्रा0—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ— (i) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा-शर्त, भत्ते एवं सुविधा का संदाय) संशोधन नियमावली 2010 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 के नियम 4 के उप-नियम (v) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (vi) जोड़ा जायेगा।

“(vi) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बिहार राज्य के मंत्री के समतुल्य निजी कर्मों की सुविधा एवं सदस्यों को बिहार राज्य के राज्य मंत्री के समतुल्य निजी कर्मों की सुविधा मिलेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतेन्द्र, विशेष सचिव।

18 मई 2010

संख्या-2/स्था0-राजपत्रित/आ0प्र0प्रा0-07/2008-1256/आ0प्र0प्रा0 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतेन्द्र, विशेष सचिव।

The 18th May 2010

No 2/Astha-Rajpatri/Aa Pra Praa- 07/2008-1257-Aa Pra Praa— In exercise of Powers conferred by section 14 of the Disaster Management Act 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of the State Authority and pay and Allowances to Members of Advisory Committee) Rules 2008.

1. *Short Title extent and commencement* — (i) This rule may be called Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of the State Authority and pay and Allowances to members of Advisory Committee) Amendments Rule 2010.

(ii) This rule shall come into effect from the date of publication in the official Gazette.

2. The following subrule (vi) shall be added after sub rule (v) of rule 4 of Disaster management (Term of office and conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Member of Advisory Committee) Rule 2008:-

“(vi) The vice chairman of Disaster Management Authority shall get the facility of personal staff equivalent to Minister of the Bihar State; the members shall get the facility of personal staff equivalent to State Minister of the Bihar State.”

By the Order of Governor
SATENDRA, Special Secretary

Bihar State Disaster Management Authority

(Proposed Organisational Structure)

